



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

क्रमांक / एफ-49 / 90-क / जोन-01 / 2024-25 /

दिनांक :- Signed Date

प्रेषित :-

श्री राजुराम पुत्र श्री घेवरराम जाति मेघवाल,
पता - मेघवालों का बास, ग्राम भोखासनी तह. मेड़ता, नागौर।
श्री सुनिल भाटी पुत्र श्री फुसाराम जाति मेघवाल,
पता - ग्राम खारी खुर्द तह. व जिला जोधपुर

विषय :- निजी खातेदारी योजना ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा सं. 118/2 (नवीन खसरा सं. 118/3) में 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों को रहनमुक्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी भूमि खसरा सं. 118/2 (नवीन खसरा सं. 118/3), कुल रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा में से 03 बीघा 07 बिस्वा, ग्राम नान्दड़ा खुर्द का 90-क का आदेश दिनांक 10/12/2021 को जारी किया गया, जिसका ले-आउट प्लान प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23/03/2022 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उक्त कॉलोनी में आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूखण्ड संख्या 10, 11, 13, 26 कुल भूखण्ड 04, कुल क्षेत्रफल 529.87 वर्गगज रहन रखे गये थे। प्राधिकरण स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने पर रहनमुक्त किये जाते हैं।

उपायुक्त (जोन-01)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid



Digitally signed by Mulhesh Bareth
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.01.29 12:57:22 IST
Reason: Approved



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jidajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/263635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/2142

दिनांक:- 29/03/2022

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 23.03.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (26.11.2021)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 09.02.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

जोन पूर्व

एजेण्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	डांगियावास	105/1	04.08.08 बीघा	नॉन पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज
आवेदक	श्री सुगनाराम पुत्र श्री जवानाराम				
विषय:-	नॉन पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। 2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें। 3. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय				

	में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---

एजेण्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	झालामण्ड	767 / 1	07.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बिरमाराम पुत्र श्री रावतराम				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।				

एजेण्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	नान्दडा खुर्द	118 / 2 (नया खसरा संख्या 118 / 3)	04.12.00 बीघा में से 03.07.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री राजुराम पुत्र श्री घेवरराम एवं श्री सुनिल भाटी पुत्र श्री फुसाराम				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 9 मीटर भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।				



4.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6.	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

एजेन्डा संख्या 05

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	बासनी निकूबा	25/04 नया खसरा संख्या 25/10	08.06.00 बीघा में से 01.17.11 बीघा	फार्म हाउस
आवेदक	श्री झुमरराम पुत्र श्री लूणाराम				
विषय:-	फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 06

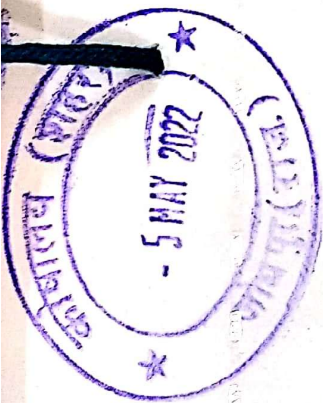
बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	बासनी निकूबा	25/04 नया खसरा संख्या 25/11	08.06.00 बीघा में से 02.14.19 बीघा	फार्म हाउस
आवेदक	श्री झुमरराम पुत्र श्री लूणाराम				
विषय:-	फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				





राजस्थान RAJASTHAN

T 215370



रहन नामा (Mortgage Deed)

रहन नामा एक लिख देते हैं हम 01. राजुराम पुत्र श्री घेवरराम, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालो का बास, ग्राम शेखासनी तहसील मेडता जिला नागौर 02. सुनिल भाटी पुत्र श्री फुसाराम जी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम खारी खुर्द तहसील व जिला जोधपुर जिन्हें इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा,

ब ह क

सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जिन्हें आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के पक्ष में यह दस्तावेज निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील कर देते हैं कि :-



1. यह है कि प्रथम पक्षकारान् की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 118/2, रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम नान्दडा खुर्द तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है।
2. यह है कि उक्त कृषि भूमि रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा का जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट दिनांक 23/03/22 को अनुमोदित किया जा चुका है तथा 90-ए की कार्यवाही दिनांक 10/12/21 को पूर्ण हो चुकी है।
3. यह है कि टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आन्तरिक विकास कार्य के बाबत् 12.5 प्रतिशत भूखण्ड द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने हैं। इस आवासीय कॉलोनी में आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ अन्यथा नियमानुसार पेनल्टी भुगतान को तैयार हूँ उक्त समयावधि में आन्तरिक विकास नहीं करने पर भूखण्डों को विक्रय हेतु प्राधिकरण अधिकृत होगा।
4. यह है कि उक्त खसरा नम्बर 118/2 के अनुमोदित ले-आउट प्लान में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड का विवरण निम्न है:-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल
1	10	157.30 वर्गज.
2	11	111.11 वर्गज.
3	13	111.11 वर्गज.
4	26	150.35 वर्गज.
5		
6		
कुल 4 भूखण्ड कुल नाप 529.87 वर्गज		

5. यह आवासीय योजना 2 हैक्टर तक ही है। इसमें आन्तरिक विकास 1 वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा यदि उक्त समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने पर ULB 10 प्रतिशत प्रचलित कनवरसेशन चार्ज वसूल कर कार्य हेतु 2 वर्ष की समय सीमा बढ़ा दी जायेगी।

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

6. यह है कि उपरोक्त वर्णित सारणी के भूखण्डों को हम प्रथम पक्षकार टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आन्तरिक विकाय कार्य के बाबत 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के अन्तर्गत द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहे हैं।
7. यह है कि उक्त भूखण्डों को आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि तक के लिये रहन रखा गया है। जो आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय पक्षकार नियुक्त कर्मचारी की रिपोर्ट के पश्चात् द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे तत्पश्चात् ही उक्त 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टे प्रथम पक्षकार प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे।
8. यह है कि उक्त योजना में विकास कार्य हमारे द्वारा ही किया जायेगा जिसके लिए प्राधिकरण से मांग नहीं करेंगे तथा हमारे द्वारा प्राधिकरण की ओर से जारी डिमाण्ड नोट के अनुसार राशि जमा करवा दी गई है जिसमें अन्तर पाये जाने पर हमारे द्वारा जमा करवा दिया जायेगा।

लिहाजा यह रहननामा प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार के हक में राजी खुशी अकल होशियारी से, बिना किसी नशे पते एवं बिना किसी दबाव के पडकर सुनकर, निष्पादित कर दिया हैं जो लिखे माफिक सही है व सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवें।

राजेश

Sunil Shrivastava



हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

साख- 01 साख एक लिख देता हूँ मैं राजेश राणा पुत्र श्री धनराज राणा
जाति बाह्य निवासी अदेरता कॉलोनी, जोधपुर
ने प्रथम पक्षकार के कहने से लिख दी है जो सही है। Rajesh

साख- 02 साख एक लिख देता हूँ मैं अमरेंद्र सिंह पुत्र श्री लालचंद सिंह
जाति राजपूत निवासी सेवरी कला, जोधपुर
ने प्रथम पक्षकार के कहने से लिख दी है जो सही है। Arvind

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



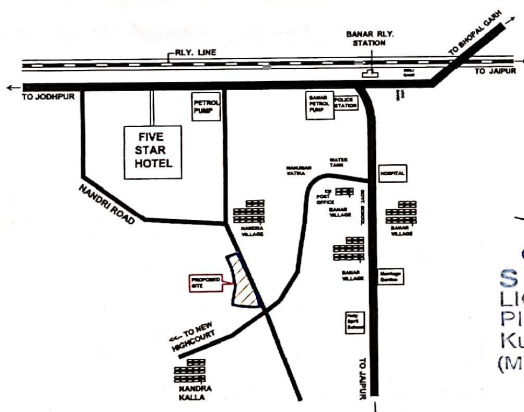
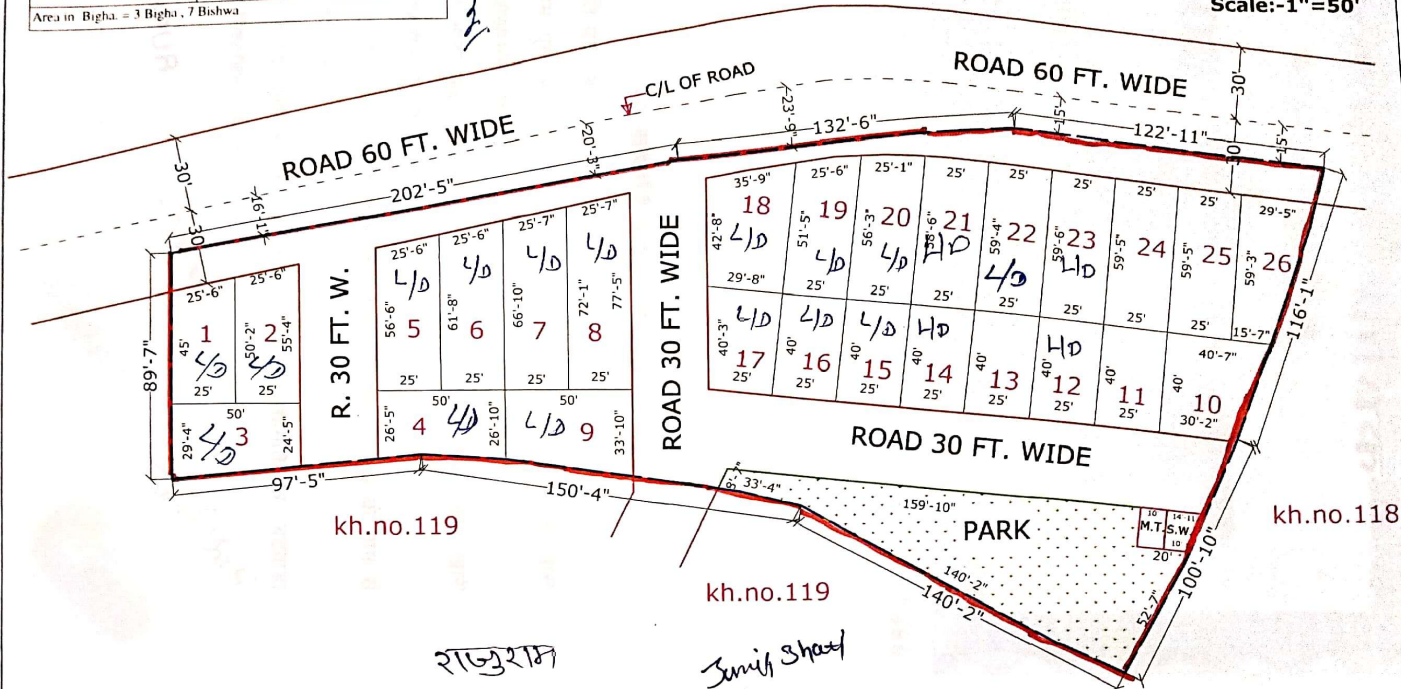
LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	3882.85	59.87 %
PARK	645.36	09.95 %
M.T./S.W.D.	37.39	00.58 %
ROAD	1920.00	29.60 %
TOTAL SCHEME AREA	6485.60	100.00 %

Area in Bigha = 3 Bigha, 7 Bishwa



Scale:- 1"=50'



SH. PRITHVI RAJ
LICENCE No. JDA/M/D-2,
Plot No. 66, Laxmi Vihar,
Kudi Bhagtasani, Jodhpur
(M) 9414134639, 9950780333

दि. 12/11/21 को भोगतेक स्वल्पित
 लान से उत्तुत लान का
 प्रिलान कर लान स-पाही से
 मार्क A से D विषा गया

8/4/22
प्रवीण आशिया
निरीक्षक (मू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

JDA/Dig (P) / East / 505-
28/08/2022

एजेन्डा संख्या 04	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	नान्दडा खुर्द	118/2 (नया खसरा संख्या 118/3)	04.12.00 बीघा मे से 03.07.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री राजुसाम पुत्र श्री घेवरसाम एवं श्री सुनिल माटी पुत्र श्री कुसारास				
विषय-	राजस्व ग्राम नान्दडा खुर्द को खसरा संख्या 118/2 (नया खसरा संख्या 118/3) रकबा 04.12.00 बीघा मे से 03.07.00 बीघा मे आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय-	समिति द्वारा एपेंडिक्स ब प्रस्तावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया-				
	1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डबललैन्ड प्लान अनुसार 18 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 9 मीटर भूमि प्रार्थी से निशुल्क समर्पित करवाई जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एप्लू मे विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल को बरबार मुख्यध्व रहन मे रखे जाने हे जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमार्गी जन आवास योजना 2015 के प्राक्कानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 4. उत्तम प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवधि, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शायथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय मे कोई विवाद लबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शायथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित मवन विनियम अनुसार जेधपुत्र विकास प्राधिकरण से मवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।				

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप अंगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निदेशक आयोजनाओं
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
पुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर